11/20 गोपाल बनाम राज॰सरकार धारा-128

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब व समायत हेतु दिनांक 13/7/21 को पेश हो। उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर	
13/7/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी पत्रावली दिनांक 23/7/21 को पेश हो।	
23/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय द्वारा डॉलैन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 5/8/21 को पेश हो।	
5/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व ग़ैरान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/8/21 को पेश हो।	
23/8/21	पत्रावली पेश हुई। प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी पत्रावली दिनांक 11/10/21 को पेश हो।	
11/10/2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प पाटन में पेश हुई। प्रार्थी शंकरलाल शर्मा स्वयं उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत पाटन के द्वारा की गई। न्यायालय हाजा के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू.राजस्व अधिनियम 1956 एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर मौजूद दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक अवलोकन एवं ध्यान पूर्वक मनन किया गया तो हम पाते हैं कि उक्त प्रार्थना	शंकरलाल शर्मा 11-10-21

सरपंच ग्राम पंचायत पाटन पंचायत समिति दूदू (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला-जयपुर)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्र पर मौजूद सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं० 30 का पूर्ण रकबा मिलान नहीं हो रहा है। तथा हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार ख०नं० 30 की दक्षिणी सीमा व पश्चिमी सीमा ग्राम खौराजवाला एव रामपुरा पातालवास की सीमाओं का टकराव नहीं होता है। इस कारण पहले भू० प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नं० 30 की सीमा के निर्धारण करवाया जाना उचित है। उक्त मौका रिपोर्ट की पालना मे आज दिनांक तक भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा वाद ग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान कर कोई पालना रिपोर्ट प्रार्थी के द्वारा अथवा पत्रावली मे मौजूद नहीं है। धारा 111 एल-आर-एक्ट के अनुसार पूर्ण सीमाज्ञान होने के पश्चात ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कि जा सकती है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार बस्सी आदेश दिया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं० 30 स्थित ग्राम रामपुरा उर्फ चन्दालिया तहसील तुंगा जिला जयपुर का आपके राजस्व टीम एंव भू-प्रबन्ध विभाग की टिम से समन्वय स्थापित कर सीमाज्ञान करें। तत्पश्चात प्रार्थी धारा 128 एल-आर-एक्ट की कार्यवाही पुन: विधिक प्रक्रिया अपनाते हुऐ पेश करने हेतु स्वंतत्र होगा।
		पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने के बाद दाखिल दफ्तर हो।
		निर्णय आज दिनांक 11/10/2021 को खुले न्यायालय मे एव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम्प पारन मे सुनाया गया।
		उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला–जयपुर)

… बस्सी
…जावे